FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)

अदालत...मुकाम...

रामाराम वगैरा ....बनाम.......... खेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा..... राजस्व अपील .....नं..... 136 .....सन्..... 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/6/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भासिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RCRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8/7/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 26.6.2020 सहायक कलक्टर बायतु	
08/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 07/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:38:57 IST
Reason: SelfAttested

07/09/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत पास-पास आये हुए हो खेतो के बीच जो पुरानी मेड़े व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिस कारण खेत के डोले को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी की नेपमवली करवानी आवश्यक हो इसलिए प्रार्थी का नेपमवली आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमवली आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमवली आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जिला को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेपमवली मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:38:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 591 दिनांकः– 08/09/2020

राजस्व आवेदन संख्या –136 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री रावताराम पुत्र हरचन्दराम जाति नाई वगैरा 15 निवासी–खारड़ा बेरा, बोडवा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री खेताराम पुत्र चैनाराम वगैरा 23, निवासी – खारड़ा बेरा, बोडवा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खारड़ा बेरा हल्का बोड़वा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 438, 439 रकबा क्रमशः 0.04, 87.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 08/09/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 592 to 596

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री रावताराम पुत्र हरचन्दराम जाति नाई वगैरा 15।
4. विप्रार्थीगण श्री खेताराम पुत्र चैनाराम वगैरा 23।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:38:57 IST
Reason: SelfAttested